श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

क्रमांकः ला.ब.शा / रा.भा. / 2017–2018 / 896   दिनांक : 08.11.2017
21

कार्यालय आदेश

निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग शास्त्री भवन के निर्देशानुसार एवं प्रशासनिक स्वीकृति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1. कम्प्यूटर, ई–मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय।
2. हिंदी शिक्षण योजना कैलेण्डर वर्ष 2025 में समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण / आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य समय–सीमा में पूर्ण किया जाय।
3. कार्यालय विषयों से संबधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित की जाय।
4. प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारी / कर्मचारी नामित किए जाएं ।
5. संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है। तथापि, राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। जानबूझकर राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।
6. मंत्रालयों / विभागों द्वारा राजभाषा से संबधित सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली के विकास पर विशेष ध्यान दें। तथा शत–प्रतिशत कम्प्यूटरों में हिन्दी में काम करने की सुविधा विकसित कीं जाए तथा अंतर मंत्रालयीय / अंतर विभागीय पत्राचारों को अधिक से अधिक हिन्दी में काम करने का प्रयास किया जाय।
7. हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाएं। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि अधिसूचना / विज्ञापन / रिक्ति संबंधी परिपत्रों का हिंदी अनुवाद वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस के लिए पूर्ण लिंक भी दिया जाय।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. समस्त विभाग
2. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
3. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव
4. समस्त अनुभाग अधिकारी
5. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
6. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
7. महिला अध्ययन केन्द्र
8. प्रकाशन विभाग
9. पुस्तकालयाध्यक्ष
10. कुलपति / कुलसचिव के निजी सचिव
11. कार्यालय आदेश पंजिका

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)